International Journal of Scientific Research in Engineering and Management (IJSREM)
Volume: 10 Issue: 10 | Oct - 2026 SJIF Rating: 8.659 ISSN: 2582-3930

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का मूल्यांकन: मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले का अनुभवजन्य अध्ययन

Vinay Sisodiya[1], Dr. Deepak[2]

1*Research Scholar, School of Humanities & Culture, Vikrant University, Gwalior, (M.P.), India vinaysisodiya705@gmail.com

2*Ph.D. Guide, School of Humanities & Culture, Vikrant University, Gwalior, (M.P.), India sandy3061987@gmail.com

सारांश (Abstract)

ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक आत्मनिर्भरता की स्थापना का एक महत्वपूर्ण आधार है। भारत में स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups—SHGs) ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक बचत, ऋण सुविधा, स्वरोजगार, कौशल विकास तथा सामाजिक सहभागिता के अवसर प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण सामुदायिक संस्थागत माध्यम हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सशक्तिकरण का मूल्यांकन करना है। अध्ययन में महिलाओं की आय, बचत, वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता, घरेलू निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा आजीविका संबंधी गतिविधियों को प्रमुख मूल्यांकन आयामों के रूप में प्रस्तावित किया गया है।

अध्ययन के लिए मिश्रित शोध पद्धति, संरचित प्रश्नावली, साक्षात्कार तथा समूह चर्चा का उपयोग प्रस्तावित है। प्राथमिक आँकड़ों के अभाव में इस शोध-पत्र में किसी वास्तविक सर्वेक्षण के परिणाम या सांख्यिकीय निष्कर्ष का दावा नहीं किया गया है। इसके स्थान पर एक व्यवस्थित अनुभवजन्य मूल्यांकन ढाँचा विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से बड़वानी जिले में स्वयं सहायता समूहों की उपलब्धियों, सीमाओं तथा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में उनकी संभावित भूमिका का विश्लेषण किया जा सकता है। अध्ययन का व्यापक उद्देश्य महिला-केंद्रित ग्रामीण विकास नीतियों और स्वयं सहायता समूहों की प्रभावशीलता को समझने के लिए उपयोगी आधार प्रस्तुत करना है।

प्रमुख शब्द: स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सहभागिता, जनजातीय विकास, बड़वानी जिला।

1. प्रस्तावना (Introduction)

महिला सशक्तिकरण आधुनिक विकास विमर्श का एक केंद्रीय विषय है। इसका आशय केवल महिलाओं की आय में वृद्धि या रोजगार के अवसरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संसाधनों पर नियंत्रण, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, नेतृत्व, अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा संस्थागत प्रक्रियाओं में सहभागिता भी सम्मिलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अनेक परस्पर संबंधित कारकों से प्रभावित होती है, जिनमें शिक्षा, आजीविका के अवसर, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच, पारिवारिक संरचना और स्थानीय सामाजिक संस्थाएँ प्रमुख हैं।

स्वयं सहायता समूह ऐसी सामुदायिक संस्थाएँ हैं, जिनमें सामान्यतः समान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों वाली महिलाएँ नियमित बचत, आंतरिक ऋण, सामूहिक निर्णय और आजीविका गतिविधियों के लिए संगठित होती हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाएँ औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सकती हैं, छोटे व्यवसाय आरंभ कर सकती हैं तथा सामुदायिक समस्याओं पर सामूहिक रूप से कार्य कर सकती हैं।

भारत सरकार का दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं, को स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संघों के माध्यम से संगठित करने, वित्तीय समावेशन

को बढ़ावा देने, टिकाऊ आजीविका विकसित करने तथा सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। मिशन का दृष्टिकोण समूह गठन से आगे बढ़कर कौशल, वित्तीय सेवाओं, बाजार संपर्क और सामुदायिक संस्थाओं को मजबूत बनाने तक विस्तृत है। (Ministry of Rural Development, Government of India, DAY-NRLM).

बड़वानी जिले का चयन इस विषय के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण आजीविका, कृषि एवं श्रम आधारित रोजगार तथा जनजातीय समुदायों का विशेष सामाजिक-आर्थिक संदर्भ मौजूद है। जिला प्रशासन के उपलब्ध जनसांख्यिकीय विवरण के अनुसार, 2011 की जनगणना में जिले की कुल जनसंख्या 13,85,881 थी, जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 9,62,145 दर्ज की गई थी। ये ऐतिहासिक आँकड़े जिले की सामाजिक संरचना का संदर्भ देते हैं; इन्हें वर्तमान जनसंख्या के आँकड़ों के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। (District Administration, Barwani, Demography).

ऐसे परिवेश में यह समझना आवश्यक है कि स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता महिलाओं के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन ला सकती है और किन परिस्थितियों में समूहों की संस्थागत गतिविधियाँ वास्तविक सशक्तिकरण में परिवर्तित होती हैं।

2. शोध समस्या (Statement of the Problem)

स्वयं सहायता समूहों की संख्या, सदस्यता या बचत राशि में वृद्धि अपने आप में महिला सशक्तिकरण का पर्याप्त प्रमाण नहीं है। किसी समूह की वास्तविक प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि महिलाएँ उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करती हैं, आय अर्जित करने की गतिविधियों में उनकी भूमिका कितनी है, ऋण पर उनका नियंत्रण कितना है तथा घरेलू और सामुदायिक निर्णयों में उनकी भागीदारी किस सीमा तक बढ़ी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में समूहों के सामने बाजार तक सीमित पहुँच, अपर्याप्त प्रशिक्षण, ऋण के उपयोग संबंधी कठिनाइयाँ, उत्पादों की बिक्री, डिजिटल वित्तीय सेवाओं की जानकारी का अभाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों का असमान वितरण जैसी चुनौतियाँ हो सकती हैं। इन परिस्थितियों में समूहों की सदस्यता और वास्तविक सशक्तिकरण के बीच संबंध का व्यवस्थित मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है।

अतः प्रस्तुत अध्ययन की मुख्य शोध समस्या यह है कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता और सामुदायिक नेतृत्व को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं तथा उनकी प्रभावशीलता को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक कौन-से हैं।

3. अध्ययन के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. बड़वानी जिले में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का अध्ययन करना।
2. स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता और महिलाओं की बचत, ऋण तक पहुँच, आय तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता के बीच संबंध का मूल्यांकन करना।
3. घरेलू निर्णय लेने की प्रक्रिया और सामाजिक सहभागिता में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण करना।
4. समूहों के माध्यम से विकसित नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, अधिकारों के प्रति जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी का अध्ययन करना।
5. महिलाओं की सशक्तिकरण संबंधी उपलब्धियों को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत कारकों की पहचान करना।
6. स्वयं सहायता समूहों की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

4. शोध प्रश्न (Research Questions)

1. क्या स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाने से संबंधित है?
2. क्या समूह की सदस्यता और महिलाओं की आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता के बीच सकारात्मक संबंध पाया जाता है?
3. क्या समूह की बैठकों, प्रशिक्षण और सामूहिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी सामाजिक आत्मविश्वास तथा नेतृत्व क्षमता से संबंधित है?
4. समूहों की प्रभावशीलता पर शिक्षा, सदस्यता की अवधि, प्रशिक्षण, ऋण उपलब्धता और बाजार संपर्क का क्या प्रभाव पड़ता है?
5. ग्रामीण एवं जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों के सामने कौन-सी प्रमुख बाधाएँ आती हैं?

5. शोध परिकल्पनाएँ (Research Hypotheses)

H_1: स्वयं सहायता समूहों की सदस्यता और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के बीच सकारात्मक संबंध है।

H_2: स्वयं सहायता समूहों में सक्रिय भागीदारी और घरेलू निर्णय लेने की क्षमता के बीच सकारात्मक संबंध है।

H_3: कौशल विकास प्रशिक्षण एवं वित्तीय साक्षरता का स्तर महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों और वित्तीय निर्णय लेने की क्षमता से सकारात्मक रूप से संबंधित है।

H_4: समूह की सदस्यता की अवधि तथा समूह की बैठकों में नियमित भागीदारी महिलाओं की सामाजिक सहभागिता और नेतृत्व क्षमता से संबंधित हैं।

H_5: बाजार संपर्क, संस्थागत सहायता और ऋण तक प्रभावी पहुँच स्वयं सहायता समूहों की आजीविका संबंधी प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं।

ये परीक्षण योग्य परिकल्पनाएँ हैं; प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण से पहले इन्हें सिद्ध निष्कर्ष नहीं माना जाना चाहिए।

6. साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

6.1 स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण आजीविका

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संस्थागत दृष्टिकोण ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक समूहों में संगठित करने, वित्तीय सेवाओं से जोड़ने, कौशल विकसित करने और स्थायी आजीविका को प्रोत्साहित करने पर आधारित है। यह दृष्टिकोण बताता है कि समूहों का मूल्यांकन केवल बचत या ऋण के आधार पर नहीं, बल्कि आजीविका, सामाजिक समावेशन और संस्थागत क्षमता जैसे व्यापक आयामों पर किया जाना चाहिए। (Ministry of Rural Development, DAY-NRLM).

6.2 मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों का संस्थागत संदर्भ

माइकल वाल्टन का 2025 का अध्ययन मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित छह स्वयं सहायता समूहों के अनुभवों, 90 साक्षात्कारों और समूह चर्चाओं के आधार पर राज्य, समुदाय और स्थानीय संस्थाओं के बीच संबंधों का गुणात्मक विश्लेषण करता है। यह अध्ययन संकेत देता है कि स्वयं सहायता समूहों की कार्यप्रणाली को समझने के लिए केवल वित्तीय उपलब्धियों के बजाय समूहों और सरकारी सहायता तंत्र के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन

भी महत्वपूर्ण है। हालाँकि, उस अध्ययन के निष्कर्षों को बिना स्थानीय जाँच के बड़वानी जिले पर सीधे लागू नहीं किया जा सकता। (Walton, 2025).

6.3 बड़वानी जिले का सामाजिक-आर्थिक संदर्भ

भारत की जनगणना 2011 के जिला जनगणना हस्तपुस्तक में बड़वानी जिले के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों से संबंधित जनसांख्यिकीय तथा अन्य गैर-जनगणना संबंधी विवरण उपलब्ध हैं। ये आँकड़े अध्ययन क्षेत्र के चयन, नमूना निर्धारण और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि समझने में सहायक हो सकते हैं। अध्ययन के अंतिम संस्करण में जिला-स्तरीय निष्कर्षों के लिए उपलब्ध नवीनतम विश्वसनीय आँकड़ों और स्थानीय प्रशासनिक अभिलेखों का उपयोग किया जाना चाहिए। (Census of India, 2011; District Census Handbook: Barwani).

6.4 साहित्य में शोध-अंतराल

उपलब्ध नीतिगत साहित्य स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय समावेशन, आजीविका विकास और सामुदायिक संस्थाओं के महत्व को स्पष्ट करता है। फिर भी बड़वानी जिले के विशिष्ट संदर्भ में समूहों की सदस्यता, उनकी गतिविधियों में सक्रियता, ऋण के वास्तविक उपयोग, घरेलू निर्णयों में भागीदारी और सामाजिक नेतृत्व के बीच संबंधों का स्थानीय स्तर पर अनुभवजन्य परीक्षण आवश्यक है।

प्रस्तुत अध्ययन इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत सशक्तिकरण के संयुक्त मूल्यांकन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

7. सैद्धांतिक आधार (Theoretical Framework)

इस अध्ययन को तीन परस्पर संबंधित दृष्टिकोणों के आधार पर विकसित किया जा सकता है।

7.1 महिला सशक्तिकरण दृष्टिकोण: इसके अंतर्गत महिलाओं की संसाधनों तक पहुँच, संसाधनों के उपयोग पर नियंत्रण, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन संबंधी विकल्पों को प्रमुख संकेतकों के रूप में देखा जाएगा।

7.2 सामाजिक पूँजी दृष्टिकोण: स्वयं सहायता समूहों में पारस्परिक विश्वास, सहयोग, सामूहिक उत्तरदायित्व और नेटवर्क निर्माण को महिलाओं की सामाजिक सहभागिता तथा सामूहिक समस्या-समाधान क्षमता से जोड़कर देखा जाएगा।

7.3 क्षमता दृष्टिकोण (Capability Approach): इस दृष्टिकोण के अनुसार सशक्तिकरण का मूल्यांकन केवल आय या संपत्ति से नहीं, बल्कि महिलाओं की वास्तविक स्वतंत्रता, उपलब्ध विकल्पों, निर्णय क्षमता और सामाजिक जीवन में भागीदारी से भी किया जाना चाहिए।

इन तीनों दृष्टिकोणों को मिलाकर एक ऐसा मूल्यांकन ढाँचा बनाया जा सकता है, जो आर्थिक परिणामों के साथ-साथ महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति में संभावित परिवर्तन को भी समझ सके।

8. शोध पद्धति (Research Methodology)

8.1 शोध का स्वरूप

अध्ययन के लिए वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध डिजाइन प्रस्तावित है। मात्रात्मक सर्वेक्षण के साथ गुणात्मक साक्षात्कार और समूह चर्चाओं का उपयोग करने से महिलाओं के अनुभवों तथा सांख्यिकीय संबंधों का संयुक्त विश्लेषण किया जा सकेगा।

8.2 अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र मध्य प्रदेश का बड़वानी जिला होगा। जिले के ग्रामीण विकास संबंधी प्रशासनिक विवरण में सात विकासखंड/जनपद पंचायत तथा 717 ग्रामीण गाँव दर्ज हैं। नमूना निर्धारण करते समय प्रशासनिक सीमाओं और स्वयं सहायता समूहों की वर्तमान उपलब्धता का सत्यापन किया जाना आवश्यक होगा। (District Administration, Barwani, Demography).

8.3 अध्ययन की जनसंख्या

अध्ययन की लक्षित जनसंख्या बड़वानी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्य होंगी। तुलनात्मक विश्लेषण के लिए, यदि व्यावहारिक और नैतिक रूप से संभव हो, तो समान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों वाली गैर-सदस्य महिलाओं को भी शामिल किया जा सकता है।

8.4 नमूना चयन

एक संभावित शोध योजना के रूप में 200 महिला उत्तरदाताओं का नमूना प्रस्तावित किया जा सकता है। इनमें 150 स्वयं सहायता समूह की सदस्य और 50 गैर-सदस्य महिलाएँ शामिल हो सकती हैं। अंतिम नमूना आकार उपलब्ध समूहों की संख्या, संसाधनों, अपेक्षित सांख्यिकीय शक्ति और क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

नमूना चयन के लिए बहु-स्तरीय स्तरीकृत नमूना पद्धति अपनाई जा सकती है। इसमें पहले चयनित विकासखंडों, फिर गाँवों और उसके बाद पात्र उत्तरदाताओं का चयन किया जाएगा। ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण: 200 उत्तरदाताओं का उल्लेख प्रस्तावित नमूना योजना है, वास्तविक सर्वेक्षण का विवरण नहीं।

8.5 प्राथमिक आँकड़ों के स्रोत

- संरचित प्रश्नावली के माध्यम से महिला सदस्यों से सर्वेक्षण।
- समूह पदाधिकारियों एवं सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के साक्षात्कार।
- चयनित समूहों की बैठकों का अवलोकन।
- महिलाओं के अनुभवों और स्थानीय समस्याओं पर केंद्रित समूह चर्चा।
- आवश्यकतानुसार बैंक लिंकेज, बचत, ऋण और प्रशिक्षण संबंधी अभिलेखों का परीक्षण।

8.6 द्वितीयक आँकड़ों के स्रोत

- भारत की जनगणना और बड़वानी जिला जनगणना हस्तपुस्तक।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय की DAY-NRLM संबंधी रिपोर्टें एवं दिशानिर्देश।
- मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के उपलब्ध अभिलेख।
- स्वयं सहायता समूहों, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास पर प्रकाशित शोध-पत्र तथा पुस्तकें।

8.7 आँकड़ों के विश्लेषण की विधियाँ

मात्रात्मक आँकड़ों के लिए निम्नलिखित विधियाँ उपयोगी हो सकती हैं:

1. **आवृत्ति एवं प्रतिशत विश्लेषण:** सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं, बचत, ऋण उपयोग और प्रशिक्षण में भागीदारी का वर्णन।
2. **औसत एवं मानक विचलन:** आय, बचत तथा सशक्तिकरण सूचकांक जैसे मात्रात्मक चरों का सारांश।

3. **काई-वर्ग परीक्षण:** श्रेणीबद्ध चरों के बीच संबंध की जाँच।
4. **सहसंबंध विश्लेषण:** समूह भागीदारी और सशक्तिकरण संकेतकों के बीच संबंध का अध्ययन।
5. **प्रतिगमन विश्लेषण:** शिक्षा, सदस्यता की अवधि, प्रशिक्षण, वित्तीय पहुँच और अन्य नियंत्रित चरों के साथ सशक्तिकरण संकेतकों के संबंध का मूल्यांकन।
6. **विषयगत विश्लेषण:** साक्षात्कार और समूह चर्चा से प्राप्त गुणात्मक जानकारी का वर्गीकरण एवं व्याख्या।

जहाँ संभव हो, गैर-सदस्य महिलाओं के साथ तुलना करते समय आयु, शिक्षा, परिवार की आर्थिक स्थिति और अन्य संभावित अंतरकारी कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। केवल समूह सदस्यता और परिणामों के बीच सहसंबंध मिलने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि परिवर्तन का एकमात्र कारण स्वयं सहायता समूह ही है।

9. महिला सशक्तिकरण के मूल्यांकन के प्रमुख आयाम

9.1 आर्थिक सशक्तिकरण

आर्थिक सशक्तिकरण का मूल्यांकन महिलाओं की व्यक्तिगत आय, नियमित बचत, ऋण की उपलब्धता, ऋण के उपयोग पर नियंत्रण, स्वरोजगार, उत्पादक संपत्तियों तक पहुँच और आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर किया जा सकता है।

यह देखना आवश्यक होगा कि समूहों के माध्यम से प्राप्त वित्तीय सहायता केवल उपभोग संबंधी आवश्यकताओं तक सीमित है या उसका उपयोग आय-सृजन गतिविधियों में भी किया जा रहा है। साथ ही, ऋण की उपलब्धता के साथ पुनर्भुगतान का दबाव और ऋणग्रस्तता की स्थिति भी दर्ज की जानी चाहिए।

9.2 सामाजिक सशक्तिकरण

सामाजिक सशक्तिकरण में महिलाओं का सामुदायिक बैठकों में भाग लेना, सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करना, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना, सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच बनाना और सामूहिक समस्याओं के समाधान में योगदान देना शामिल है।

समूह की बैठकों में नियमित भागीदारी महिलाओं को सामाजिक संपर्क विकसित करने का अवसर दे सकती है। हालाँकि, इसकी वास्तविक प्रभावशीलता स्थानीय सामाजिक संबंधों, समूह के संचालन और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करेगी।

9.3 घरेलू निर्णय लेने की क्षमता

इस आयाम में निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जा सकता है:

- परिवार के खर्च और बचत संबंधी निर्णय।
- बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय के निर्णय।
- ऋण लेने और उसका उपयोग निर्धारित करने में महिला की भूमिका।
- आजीविका या व्यवसाय शुरू करने संबंधी निर्णय।
- घरेलू संपत्तियों और उत्पादक संसाधनों के उपयोग पर नियंत्रण।

महिलाओं से यह भी पूछा जाना चाहिए कि निर्णय वे स्वयं लेती हैं, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर लेती हैं या निर्णय लेने में उनकी भूमिका सीमित है।

9.4 व्यक्तिगत सशक्तिकरण

आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, संवाद कौशल, वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग संबंधी जानकारी, सार्वजनिक संस्थाओं से संपर्क करने की क्षमता और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता को व्यक्तिगत सशक्तिकरण के संकेतकों के रूप में शामिल किया जा सकता है।

9.5 नेतृत्व एवं सामूहिक सहभागिता

समूह की बैठकों में बोलने, पदाधिकारी बनने, लेखा-जोखा समझने, वित्तीय निर्णयों में भाग लेने, विवादों के समाधान और सामुदायिक गतिविधियों का नेतृत्व करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

9.6 संस्थागत एवं बाजार संबंधी सशक्तिकरण

समूह की बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, सरकारी योजनाओं से संपर्क, उत्पादों के विपणन, डिजिटल भुगतान, तकनीकी सहायता और स्थायी बाजार संपर्क का अध्ययन समूह की दीर्घकालिक प्रभावशीलता को समझने में सहायता करेगा।

10. अनुभवजन्य मूल्यांकन की प्रस्तावित रूपरेखा

मूल्यांकन आयाम	प्रमुख संकेतक	संभावित मापन
आर्थिक	आय, बचत, ऋण उपयोग, स्वरोजगार	राशि, गतिविधि एवं उत्तरदाता की रिपोर्ट
वित्तीय	बैंक खाता संचालन, वित्तीय जानकारी	प्रश्नावली आधारित अंक
घरेलू निर्णय	खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय	निर्णय में भागीदारी का स्तर
सामाजिक	बैठकों एवं सामुदायिक गतिविधियों में भागीदारी	आवृत्ति एवं सहभागिता स्तर
व्यक्तिगत	आत्मविश्वास, अधिकारों की जानकारी	बहु-मद प्रश्नावली
नेतृत्व	पद धारण, निर्णय एवं समस्या-समाधान	गतिविधियों और भूमिकाओं का विवरण
संस्थागत	प्रशिक्षण, बैंक लिंकेज, बाजार पहुँच	अभिलेख एवं उत्तरदाता की रिपोर्ट

यदि संयुक्त सशक्तिकरण सूचकांक तैयार किया जाता है, तो प्रत्येक आयाम के लिए स्पष्ट प्रश्न, अंक निर्धारण, भार और सामान्यीकरण की विधि पहले से निर्धारित की जानी चाहिए। सूचकांक की विश्वसनीयता तथा वैधता का परीक्षण किए बिना अलग-अलग संकेतकों को जोड़कर किसी महिला को सशक्त या असशक्त घोषित करना उचित नहीं होगा।

11. अपेक्षित विश्लेषण एवं चर्चा (Proposed Analysis and Discussion)

इस अध्ययन का विश्लेषण निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित होना चाहिए।

प्रथम, वित्तीय समावेशन: यह जाँचना आवश्यक होगा कि समूह की सदस्यता महिलाओं की बचत की नियमितता, औपचारिक ऋण तक पहुँच तथा वित्तीय लेन-देन में उनकी सक्रियता से किस सीमा तक संबंधित है।

द्वितीय, आजीविका विकास: यह विश्लेषण किया जाना चाहिए कि सदस्य महिलाएँ कृषि, पशुपालन, लघु व्यवसाय, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प या अन्य स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में किस प्रकार भाग लेती हैं। प्रत्येक गतिविधि की लाभप्रदता, बाजार संपर्क और स्थायित्व अलग-अलग हो सकते हैं।

तृतीय, घरेलू निर्णय: महिलाओं की आय में वृद्धि और निर्णय लेने की क्षमता के बीच संबंध का परीक्षण किया जाना चाहिए। यह संभव है कि आय अर्जित करने वाली महिला को भी घरेलू संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण न प्राप्त हो; इसलिए आय और निर्णय क्षमता को अलग-अलग संकेतकों के रूप में मापना आवश्यक है।

चतुर्थ, सामाजिक सहभागिता: समूह की बैठकों, सामुदायिक कार्यक्रमों और स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन उनके नेतृत्व और सामाजिक नेटवर्क को समझने में सहायता करेगा।

पंचम, संस्थागत गुणवत्ता: समूह की नियमित बैठकें, पारदर्शी लेखांकन, सदस्यों के बीच समान भागीदारी, समय पर वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण की गुणवत्ता जैसे कारकों का परीक्षण किया जाना चाहिए।

षष्ठ, सामाजिक-आर्थिक विविधता: शिक्षा, आयु, परिवार की आर्थिक स्थिति, जनजातीय पृष्ठभूमि, गाँव की भौगोलिक स्थिति और सदस्यता की अवधि के आधार पर परिणामों में अंतर का विश्लेषण किया जा सकता है।

इस प्रकार का विश्लेषण यह स्पष्ट करने में सहायक होगा कि समूहों की सदस्यता मात्र की तुलना में कौन-सी गतिविधियाँ और संस्थागत विशेषताएँ महिलाओं के सशक्तिकरण से अधिक निकटता से जुड़ी हैं।

12. संभावित चुनौतियाँ एवं सीमाएँ

स्वयं सहायता समूहों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन में कुछ संभावित बाधाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है:

1. समूहों के वित्तीय अभिलेखों तथा आय संबंधी जानकारी की अपूर्णता।
2. उत्तरदाताओं द्वारा आय, ऋण या घरेलू निर्णयों से संबंधित जानकारी देने में संकोच।
3. विभिन्न समूहों की सदस्यता अवधि और कार्यप्रणाली में अंतर।
4. सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण महिलाओं की भागीदारी में विविधता।
5. बाजार तक सीमित पहुँच और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में अंतर।
6. समूह की सदस्यता से पहले और बाद के विश्वसनीय आँकड़ों का अभाव।
7. गैर-सदस्य महिलाओं और समूह सदस्यों के बीच प्रारंभिक सामाजिक-आर्थिक अंतर।

यदि अध्ययन केवल एक समय-बिंदु पर किया जाता है, तो उससे परिवर्तन की दिशा और संबंधित कारकों का पता लगाया जा सकता है, लेकिन कारणात्मक प्रभाव का निर्णायक प्रमाण प्राप्त करना कठिन होगा। इसके लिए पूर्व एवं पश्चात् आँकड़ों, तुलनात्मक समूहों या उपयुक्त अर्ध-प्रायोगिक पद्धतियों की आवश्यकता हो सकती है।

13. नीतिगत सुझाव (Policy Recommendations)

13.1 कौशल विकास और वित्तीय साक्षरता: महिलाओं को नियमित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिसमें बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, लेखांकन, ऋण प्रबंधन और उद्यम संचालन शामिल हों।

13.2 स्थानीय आजीविका को प्रोत्साहन: स्थानीय संसाधनों और बाजार की माँग के अनुरूप कृषि आधारित गतिविधियों, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य उपयुक्त लघु उद्यमों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

13.3 बाजार संपर्क को मजबूत बनाना: उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, परिवहन, डिजिटल विपणन और खरीदारों से संपर्क के लिए समूहों को तकनीकी एवं संस्थागत सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

13.4 समूहों के संचालन में पारदर्शिता: नियमित बैठकें, स्पष्ट लेखांकन, सामूहिक निर्णय, सदस्यों को अभिलेखों की जानकारी और समयबद्ध लेखा परीक्षण सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

13.5 महिला नेतृत्व का विकास: समूहों में सभी सदस्यों को बोलने, निर्णय लेने, नेतृत्व ग्रहण करने और प्रशिक्षण में भाग लेने के समान अवसर मिलने चाहिए।

13.6 जनजातीय एवं दूरस्थ गाँवों पर विशेष ध्यान: स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण, भौगोलिक पहुँच, सांस्कृतिक परिस्थितियों और स्थानीय आजीविका की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए।

13.7 संस्थागत समन्वय: स्वयं सहायता समूहों को बैंकिंग संस्थाओं, स्थानीय प्रशासन, कौशल विकास कार्यक्रमों, कृषि एवं पशुपालन विभागों तथा ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ना उपयोगी हो सकता है।

13.8 परिणाम-आधारित निगरानी: समूहों की सफलता का मूल्यांकन केवल गठन, सदस्यता या ऋण वितरण से न करके महिलाओं की आय, आर्थिक निर्णय क्षमता, आजीविका की स्थिरता, सामाजिक भागीदारी और नेतृत्व जैसे परिणामों से भी किया जाना चाहिए।

14. निष्कर्ष (Conclusion)

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण सामुदायिक संस्थागत माध्यम हो सकते हैं। इनके माध्यम से सामूहिक बचत, वित्तीय सेवाओं तक पहुँच, आजीविका गतिविधियों, प्रशिक्षण और सामाजिक सहभागिता के अवसर विकसित किए जा सकते हैं। फिर भी समूहों का गठन या उनकी सदस्यता अपने आप में पूर्ण सशक्तिकरण का प्रमाण नहीं है। वास्तविक सशक्तिकरण का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि महिलाओं की आय एवं संसाधनों पर नियंत्रण, घरेलू निर्णय लेने की क्षमता, सामाजिक भागीदारी, आत्मविश्वास और नेतृत्व में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं।

बड़वानी जिले के सामाजिक-आर्थिक संदर्भ में स्वयं सहायता समूहों का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्राथमिक आँकड़ों का व्यवस्थित संग्रह, समूहों की संस्थागत गुणवत्ता का आकलन और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाली महिलाओं के अनुभवों का तुलनात्मक विश्लेषण आवश्यक है।

प्रस्तावित अनुभवजन्य अध्ययन से यह समझने का अवसर मिलेगा कि किन परिस्थितियों में स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के लिए अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं और किन संस्थागत या सामाजिक बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। अंततः समूहों की सफलता का मूल उद्देश्य महिलाओं को केवल वित्तीय गतिविधियों में शामिल करना नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन, संसाधनों और सामुदायिक विकास से जुड़े निर्णयों में अधिक सक्षम एवं स्वतंत्र भागीदार बनाना होना चाहिए।

संदर्भ सूची

1. Ministry of Rural Development, Government of India. *Deendayal Antyodaya Yojana–National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM).* आधिकारिक विवरण: https://manipursrlm.gov.in/day-nrlm/
2. Walton, M. (2025). *Seeing like a State or Seeing the State? A Qualitative Study of a Government Program to Support Women's Self-Help Groups in Madhya Pradesh, India.* Harvard Kennedy School Faculty Research Working Paper Series, RWP25-002. https://www.hks.harvard.edu/publications/seeing-state-or-seeing-state-qualitative-study-government-program-support-womens-self
3. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India. (2011). *Census of India 2011: District Census Handbook, Barwani, Madhya Pradesh.* https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/681

4. District Administration, Barwani, Government of Madhya Pradesh. *Demography.* https://barwani.nic.in/en/demography/
5. Ministry of Rural Development, Government of India. *Impact Assessment of DAY-NRLM by IRMA.* Press Information Bureau, 30 June 2017. https://www.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?lang=2&reg=48&relid=167014